POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 16.06.2025

1. थाना बिसरख पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा शराब/बीयर का अवैध भण्डारण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, छापामारी से समाप्ति तिथि की 435 बोतल अंग्रेजी शराब, 1911 पेटी बीयर (45855 बोतल/कैन) व 56 फर्जी स्टीकर बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **16.06.2025** को **थाना बिसरख पुलिस व आबकारी विभाग** द्वारा संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से शराब/बीयर का अवैध भण्डारण करने वाला अभियुक्त सचिन कुमार जायसवाल पुत्र गया प्रसाद को सी-429 सेक्टर-03 आवासीय गोदाम पर छापेमारी करते हुए **गिरफ्तार** किया गया है। छापामारी से समाप्ति तिथि की विभिन्न ब्रांड की 435 बोतल अंग्रेजी शराब, 1911 पेटी बीयर (45855 बोतल/कैन) व 56 फर्जी स्टीकर बरामद हुए है ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त, वर्ष 2024-2025 में जो शराब व बीयर बिक्री नही हो पायी थी को अन्य दुकानों से सस्ते दामों में खरीद कर उस पर वर्ष 2025-2026 का फर्जी स्टीकर लगाकर बाजार में बेच कर भारी मुनाफा कमाता था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

सचिन कुमार जायसवाल पुत्र गया प्रसाद ग्राम मिल्कीपुर, थाना इनायतनगर, अयोध्या, उ0प्र0 ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 429/2025 धारा 60/63 आबकारी व 338/339/316 बीएनएस, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

समाप्ति तिथि की विभिन्न ब्रांड की 435 बोतल अंग्रेजी शराब, 1911 पेटी (45855 बोतल/कैन) बीयर व 56 फर्जी स्टीकर।